



UPKU100013662016

न्यायालय- अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कसया, कुशीनगर
उपस्थित:-प्रतिभा भाग्यश्री उ०प्र०न्यायिक सेवा (UP3293)
मुकदमा सं०-923/2016
सरकार बनाम इस्तखार

मु०अ०सं०-04/2003
धारा-323, 504 IPC
थाना तुर्कपट्टी, जिला कुशीनगर।

आदेश

दिनांक 25.06.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकारा गया।

पत्रावली पर अभियुक्तगण **इस्तखार, मुस्लिम व श्रीमती जमीला**, निवासी महासीन, थाना तुर्कपट्टी की अनुपस्थिति पर अभियुक्तगण के विरुद्ध न्यायालय द्वारा जारी NBW+ 82 Crpc में इस आशय का आख्या प्राप्त हुई कि अभियुक्तगण इस्तखार, मुस्लिम व श्रीमती जमीला की मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु के संबंध में प्रधान की लिखित तहरीर आख्या के साथ संलग्न है।

न्यायालय द्वारा राकेश कुमार, पैरोकार थाना तुर्कपट्टी का बयान अंकित कराया गया है, जिसमें पैरोकार ने सशपथ कथन किया है कि मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त इस्तखार के विरुद्ध NBW+ 82 Crpc जारी किया है, जिसे मेरे द्वारा प्राप्त कर थाना तुर्कपट्टी पर प्राप्त कराया। जिसके निष्पादन हेतु उ०नि० श्याम बिहारी उपाध्याय को तामिला हेतु निर्देशित किया गया। उ०नि० श्याम बिहारी उपाध्याय की आख्या के अनुसार उपरोक्त अभियुक्तगण की मृत्यु हो चुकी है। समर्थन में उनके द्वारा अभियुक्त मुस्लिम का मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति व अभियुक्त इस्तखार मृत्यु को संबंध में ग्राम प्रधान के तहरीर की छायाप्रति आख्या के साथ संलग्न की गयी। मैं उ०नि० श्याम बिहारी उपाध्याय को लिखते पढ़ते देखा हूँ व उनके हस्तलेख व हस्ताक्षर को पहचानता हूँ। जिसको तस्दीक करता हूँ। आख्या उ०नि० श्यामबिहारी उपाध्याय द्वारा दाखिल की गयी।

आदेश

उपरोक्त समस्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण **इस्तखार, मुस्लिम व श्रीमती जमीला** निवासी महासीन, थाना तुर्कपट्टी, जिला कुशीनगर की मृत्यु हो चुकी है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध उपरोक्त वाद की कार्यवाही उपशमित की जाती है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 25.06.2026

(श्रीमती प्रतिभा भाग्यश्री)

JO.Code-UP3293

ए०सी०जे०एम०, कसया,
जिला-कुशीनगर।